रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2003/आश्विन 7, 1925
No. 476] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2003/ASVINA 7, 1925

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2003
1/2003-स्वापक नियंत्रण-I

सा.का.नि. 777(अ).—स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, पहली अक्तूबर, 2003 को आरम्भ होने वाले और 30 सितम्बर, 2004 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु नीचे विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तें अधिसूचित करती है:-

प्रस्तावना

भारत सरकार (जिसे इसके बाद सरकार कहा गया है)
अफीम के अनिवार्य औषधीय उपयोग पर विचार करते हुए,
अफीम पोस्त की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस कच्ची सामग्री के एक मात्र वैध सप्लायर के रुप में इसकी भूमिका को समझते हुए, और

औषध के अवैध व्यापार और औषध के दुरुपयोग की रोकथाम करने और उसका सामना करने की आवश्यकता के प्रति सजगता दर्शाते हुए,

एतद्द्वारा फसल वर्ष 2003-2004 के लिए अफीम की खेती के लिए लाइसेंस मंजूर करने हेतु निम्नलिखित सामान्य शर्तें निर्धारित करती है :-

1. खेती करने के स्थान

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए।

2. लाइसेंस की मंजूरी

(क) केवल वही किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2002-2003 के दौरान मध्यप्रदेश,राजस्थान के राज्यों में औसतन कम से कम 52 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर अथवा उत्तर प्रदेश में 46 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर की अर्हक उपज प्रस्तुत की हो, लाइसेंस के पात्र होंगे ।

(ख) तथापि, उपर्युक्त मानदंड निम्नलिखित श्रेणियों के किसानों पर लागू नहीं होंगे :-

(i) जिन्होंने इस संबंध में प्रावधानों के अनुसार सरकारी देख-रेख में फसल वर्ष 2002-2003 के दौरान पूरी पोस्त खेती की जुताई की हो,

(ii) जिनकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2002-2003 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो, अथवा

(iii) जिन्होंने पिछले किसी वर्ष में पोस्त की खेती की हो और जो अनुवर्ती वर्ष में लाइसेंस के लिए पात्र थे, किन्तु किसी कारणवश स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो अथवा, जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणश पोस्त की खेती न की हो ।

3. लाइसेंस की शर्तें

(क) किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो :-

(i) उसने फसल वर्ष 2002-2003 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा वास्तविक क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो,

(ii) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो अथवा स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगाया गया हो ,

(iii) फसल वर्ष 2002-2003 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो/नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया हो अथवा सरकार को अफीम देने से पहले/देते समय अपने द्वारा प्राप्त अपनी अफीम में कोई मिलावट न की हो,

(ख) जिन किसानों ने फसल वर्ष 2002-2003 के दौरान दो से अधिक भूखंडों में अफीम पोस्त की खेती की थी, किन्तु न्यूनतम अर्हक उपज दी थी और जो अफीम लाइसेंसिंग नीति 2003-2004 की अन्य शर्तो को पूरा करते हैं उन्हें फसल वर्ष 2003-2004 के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।

4. नया लाइसेंस

अधिसूचित भूखंडों में आने वाले अफीम उगाने वाले गांवों के उन निवासियों से नए लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र पर भी विचार किया जाएगा जो फसल वर्ष 2002-03,2001-02,2000-01 और 1999-00 के लिए कम से कम न्यूनतम अर्हकारी उपज मानदंड को कम से कम 1 कि.ग्रा./हैक्टेयर से पूरा करने में असमर्थ रहे हैं बशर्ते यह कि न्यूनतम अर्हक उपज में उपर्युक्त ढील केवल ऐसे किसानों के संबंध में लागू होगी जो अन्यथा पात्र थे किंतु संगत फसल वर्ष में निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी उपज प्रस्तुत नहीं कर सके थे।

उपर्युक्त के आधार पर नए लाइसेंस उन कृषकों को मंजूर किए जाएंगे जो संबंधित वर्षों के लिए न्यूनतम अर्हकारी उपज के मानदंड को पूरा नहीं कर सके हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, बशर्ते कि वे अन्यथा पात्र हों:-

फसल वर्ष	कालम-I में फसल वर्ष के लिए न्यूनतम अर्हकारी उपज मानदंड मात्रा (कि.ग्रा./हेक्टेयर)	1 कि.ग्रा./हेक्टेयर तक न्यूनतम अर्हकारी उपज को कम करके, औसत उपज जिसके आधार पर कृषक फसल वर्ष 2003-04 के लिए नए लाइसेंस हेतु पात्र होंगे। मात्रा (कि.ग्रा./हेक्टेयर)
1999-00	मध्य प्रदेश,राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के लिए 42	फसल वर्ष 1998-99 में प्रस्तुत मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के लिए41 तथा इससे ऊपर किंतु 42 से कम नहीं।
2000-01	मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के लिए 50 तथा उत्तर प्रदेश के लिए 42	फसल वर्ष 1999-00 में प्रस्तुत मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के लिए 49 तथा इससे ऊपर किंतु 50 से कम नहीं । उत्तर प्रदेश के लिए 41 तथा इससे ऊपर किंतु 42 से कम नहीं।
2001-02	मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के लिए 52 तथा उत्तर प्रदेश के लिए 44	फसल वर्ष 2000-01 में प्रस्तुत मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के लिए 51 तथा इससे ऊपर किंतु 52 से कम नहीं । उत्तर प्रदेश के लिए 43 तथा इससे ऊपर किंतु 44 से कम नहीं।
2002-03	मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के लिए 52 तथा उत्तर प्रदेश के लिए 45	फसल वर्ष 2001-02 में प्रस्तुत मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के लिए 51 तथा इससे ऊपर किंतु 52 से कम नहीं। उत्तर प्रदेश के लिए 44 तथा इससे ऊपर किन्तु 45 से कम नहीं।

5. अधिकतम क्षेत्र

(i) सभी किसान 20 आरी के लिए लाइसेंस के लिए पात्र होंगे ।
तथापि, किसान अपनी क्षमता और पानी की उपलब्धता के अनुसार लाइसेंसशुदा क्षेत्र से कम किसी भी क्षेत्र में खेती कर सकते हैं।

(ii) कोई भी किसान दो से कम प्लाट में अफीम पोस्त बो सकता है।

(iii) ऊपर बताई गई बातों के बावजूद , सरकार अफीम की खेती करने वाले राज्यों में अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए कृषि अनुसंधान संस्थानों अथवा कृषि विश्वविद्यालयों को 20 आरी से अधिक क्षेत्र की अनुमति दे सकती है।

6. माफी योग्य सीमा

अतिरिक्त खेती के संबंध में माफी योग्य सीमा लाइसेंसशुदा क्षेत्र के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

7. पूर्व चेतावनी

(i) अनुवर्ती वर्ष अर्थात 2004-2005 में अफीम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र बनने हेतु फसल वर्ष 2003-2004 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रति हैक्टेयर 54 किलोग्राम और उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर 48 किलोग्राम की न्यूनतम अर्हकारी उपज अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

(ii) ऐसे कृषक जिन्होंने 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान पोस्त की पूरी फसल को उखड़वा लिया हो, वे फसल वर्ष 2004-05 में लाइसेंस के पात्र उस स्थिति में नहीं होंगे, यदि उन्होंने वर्ष 2003-04 में भी अपनी फसल को पूरी तरह से उखड़वा लिया हो।

(iii) कोई भी ऐसा किसान जो इस नीति में निर्धारित मानदंड के अनुसार फसल वर्ष 2003-04 के लिए अफीम लाइसेंस देने के लिए पात्र होते हुए या तो लाइसेंस प्राप्त नहीं करता है अथवा लाइसेंस प्राप्त करके किसी वैध कारण से (पानी की कमी सहित) वास्तव में खेती नहीं करता है और काफी समय पहले नार्कोटिक्स आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को इसकी सूचना दे देता है तो वह अनुवर्ती फसल वर्ष अर्थात 2004-05 के लिए अफीम लाइसेंस का पात्र होगा ।

8. विविध:-

(i) इन अनुदेशों से नार्कोटिक्स आयुक्त/नार्कोटिक्स उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने/उसे रोकने के अधिकार को कोई क्षति नहीं पहुंचती जब भी स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझा जाए ।

(ii) लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को संयुक्त वैध अफीम पोस्त सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ अधिगृहित किया जा सकता है जिसे सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किया जाए । जिस किसान के खेतों को सं.व.अ.पो.स. के लिए चुना जाएगा उसको अगले वर्ष लाइसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा चाहे उसने फसल वर्ष 2003-04 के दौरान कितनी ही उपज प्रस्तुत क्यों न की हो और वह अन्यथा पात्र हो ।

(iii) लाइसेंस इस अतिरिक्त शर्त के अध्यधीन होगा कि अफीम को निकाले बिना पोस्त भूसी प्राप्त करने के लिए किसी भी खेत को चुना जा सकता है । जिन किसानों के खेत ऐसे उपयोग के लिए चुने जाएंगे वे अन्यथा पात्र होने पर अगले फसल वर्ष के लिए लाइसेंस के पात्र होंगे ।

(iv) ऊपर वर्णित अफीम की मात्रा का कारखाना विश्लेषणों के आधार पर 70 डिग्री शुद्धता के आधार पर हिसाब लगाया जाएगा ।

(v) उपर्युक्त किसी भी बात के होते हुए भी सरकार को उन गांवों में अफीम की खेती के लिए अनुमति को वापस लेने का अधिकार है जहां किसी भी समय खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र 2 हेक्टेयर अथवा सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य सीमा से कम हो ।

[सं 1/2003 फा. सं. 616/3/2003-स्वापक नियंत्रण-I]

अशोक चक्रवर्ती, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2003

1/2003-Narcotics Control-I

G.S.R. 777(E).— In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for grant of licence specified below for cultivation of opium poppy on account of the Central Government during the Opium Crop Year commencing on the 1st day of October, 2003 and ending with the 30th day of September, 2004.

PREAMBLE

The Government of India (hereinafter referred to as the Government)-

CONSIDERING the indispensable medicinal use of opium;

RECOGNISING its role as the sole licit supplier of this raw material to meet requirements of opiates; and being

CONSCIOUS of the necessity to prevent and combat drug trafficking and drug abuse;

HEREBY lays down the following general conditions for grant of licence for opium cultivation for the crop year 2003-04.

1. PLACE OF CULTIVATION

Poppy cultivation may be licensed in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. ELIGIBILITY FOR GRANT OF LICENCE

(a) Cultivators who have tendered an average yield of opium of not less than 52 kg/hectare in the States of Madhya Pradesh and Rajasthan and an average yield of opium of not less than 46 kg/hectare in Uttar Pradesh shall alone be eligible for licence.

(b) However, the above-mentioned criterion shall not be applicable to the cultivators of the following categories:

(i) who ploughed back their entire poppy cultivation during the crop year 2002-2003, under supervision of the Government, in accordance with the provisions in this regard;

(ii) whose appeal against refusal of licence has been allowed after the last date of settlement in the crop year 2002-2003; or

(iii) who cultivated poppy in any previous year and were eligible for licence in the following year, but did not voluntarily obtain the licence for any reason, or who, after having obtained the licence for the following crop year, did not actually cultivate poppy due to any reason.

3. CONDITIONS OF LICENCE

(a) No cultivator shall be granted licence unless he/she satisfies that:

(i) he/she did not, in the course of actual cultivation, exceed the area licensed for poppy cultivation during the crop year 2002-2003;

(ii) he/she did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in any competent Court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder; and

(iii) during the crop year 2002-03 he/she did not violate any Departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics/Narcotics Commissioner to the cultivators or did not adulterate the opium procured by him/her before/while tendering the opium to the Government;

(b) All cultivators who had cultivated opium poppy during the crop year 2002-03 in more than two plots but tendered opium with the required Minimum Qualifying Yield (MQY) and fulfilled other conditions of Opium Licensing Policy 2003-2004 will be given licence for the crop year 2003-2004.

4. New Licence

Applications for new licence shall be considered from the residents of opium cultivating villages falling in the notified tracts who have failed to fulfil the MQY criteria for the crop years 2002-03, 2001-02, 2000-01 and 1999-00 by not more than 1 kg/hectare provided further that the above relaxation in MQY would be applicable only in respect of such cultivators who were otherwise eligible but could not tender the prescribed MQY in the relevant crop year.

Based on the above, new licence would be granted to cultivators who have failed to fulfil the MQY criteria for the respective years as indicated below provided they are otherwise eligible:-

Crop year	MQY criteria for crop year at column 1 Quantity (Kg/hectare)	By lowering MQY criteria by 1 kg/hectare, the average yield on the basis of which cultivators will be eligible for new licence for crop year 2003-04 Quantity (kg/hectare)
1999-00	42 for MP, Rajasthan and UP	41 and above but less than 42 for MP, Rajasthan and UP tendered in the crop year 1998-99
2000-01	50 for MP & Rajasthan 42 for UP	49 and above but less than 50 for MP & Rajasthan 41 and above but less than 42 for UP tendered in the crop year 1999-00
2001-02	52 for MP & Rajashan 44 for UP	51 and above but less than 52 for MP & Rajasthan 43 and above but less than 44 for UP tendered in the crop year 2000-01
2002-03	52 for MP & Rajasthan 45 for UP	51 and above but less than 52 for MP & Rajasthan 44 and above but less than 45 for UP tendered in the crop year 2001-02

5. MAXIMUM AREA

(i) All cultivators will be issued licence for 20 are.

However, cultivators can cultivate in any area less than the licensed area according to their capability and availability of water.

(ii) A cultivator can sow opium poppy in not more than two plots.

(iii) Notwithstanding anything stated above, the Government may allow an area more than 20 are to Agricultural Research Institutes or Agriculture Universities in the opium growing States for research purposes.

6. CONDONABLE LIMIT

The condonable limit in respect of excess cultivation shall not exceed 5% of the licensed area.

7. FOREWARNING

(i) A Minimum Qualifying Yield of 54 kg/hectare in Madhya Pradesh and Rajasthan and 48 kg/hectare in Uttar Pradesh must be tendered during the crop

-285-

year 2003-04 to become eligible for opium licence in the following year, i.e., 2004-05.

(ii) Cultivators who had fully ploughed back their entire poppy crop during 2001-02 and 2002-03 would not be entitled for licence in the crop year 2004-05 if they also uproot their crop fully in the crop year 2003-04.

(iii) A cultivator who, being eligible for grant of opium licence for the crop year 2003-04 in accordance with the criteria prescribed in this policy, either does not obtain the licence or, having obtained the licence, does not actually undertake cultivation for any valid reason (including shortage of water) and informs the Narcotics Commissioner or any officer authorised by him well in time, shall be eligible for opium licence for the following crop year, i.e., 2004-05.

8. MISCELLANEOUS

(i) These instructions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner / Deputy Narcotics Commissioner to issue/ withhold a licence whenever it is deemed proper so to do in accordance with the provisions of the Narcotic Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder.

(ii) The licence shall be subject to the condition that any field may be taken over for Joint Licit Opium Poppy Survey (JLOPS) that may be conducted by the Government or by the Government in collaboration with any specialised institution or agency. The cultivator whose field is selected for Joint Licit Opium Poppy Survey shall be considered for granting licence for the next year irrespective of the yield tendered by him during the crop year 2003-04, if otherwise eligible.

(iii) The licence shall be subject to the further condition that any field may be selected for obtaining poppy straw without extraction of opium. The cultivators whose fields are selected for such use shall be eligible for licence for the next crop year, if otherwise eligible.

(iv) The quantity of opium mentioned above will be calculated at 70 degree consistency on the basis of analysis at the factories (Government Opium and Alkaloid Works).

(v) Notwithstanding anything stated above, the Government reserves the right to withdraw permission for opium cultivation in such villages where the total area under cultivation, at any time, falls below 2 hectares or any other limit prescribed by the Government.

[No. 1/2003 F. No. 616/3/2003-NARCOTICS CONTROL-I]
ASHOK CHAKRABARTI, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.